अनुदान मांग 2025-26 का विश्लेषण

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दो विभाग हैं: (i) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, और (ii) उपभोक्ता मामले। 2025-26 में मंत्रालय का आवंटन केंद्र सरकार के बजटीय व्यय का 4.3% है।[1]

उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं के बीच अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने, उनके हितों की रक्षा करने, मानकों को लागू करने और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिम्मेदार है।[2] 2025-26 में विभाग को 4,361 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 7,345 करोड़ रुपए की तुलना में 41% कम है।[3] यह मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए आवंटन में कमी के कारण है। इस कोष का उपयोग दालों, प्याज और आलू का बफर स्टॉक बरकरार रखने के लिए किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जा सके।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और चीनी क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है।[4] 2025-26 में विभाग को 2,11,406 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 3% अधिक है।[5]

तालिका 1: मंत्रालय का आवंटन (करोड़ रुपए में)

विभाग	2023-24 वास्तविक	2024-25 संशोधित	2025-26 बजटीय	2024-25 संअ से 2025-26 बज में परिवर्तन का %
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2,32,223	2,05,475	2,11,406	3%
उपभोक्ता मामले	273	7,345	4,361	-41%
कुल	**2,32,496**	**2,12,820**	**2,15,767**	**1.4%**

नोट: बअ बजट अनुमान और संअ संशोधित अनुमान है। स्रोत: व्यय बजट, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

इस नोट में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आवंटन की समीक्षा की गई है। इसमें इस क्षेत्र के व्यापक मुद्दों और इस संबंध में की गई प्रमुख टिप्पणियों और सुझावों पर भी चर्चा की गई है।

वित्तीय स्थिति

खाद्य सबसिडी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का सबसे बड़ा व्यय है। 2025-26 में विभाग के आवंटन का 96% खाद्य सबसिडी के लिए है (अधिक विवरण के लिए अनुलग्नक में तालिका 6 देखें)। यह सबसिडी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों को किसानों से सरकारी अधिसूचित मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदने और उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (एनएफएसए), 2013 के तहत कम सबसिडी वाले मूल्यों पर बेचने के लिए प्रदान की जाती है। एक्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी का कवरेज अनिवार्य है।[6,7] एक्ट के तहत लाभार्थी परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई, यानी सबसे गरीब परिवार) और प्राथमिकता वाले परिवारों में विभाजित किया गया है। एएवाई परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न, सबसिडी वाले मूल्यों पर प्राप्त करने के पात्र हैं।

सबसिडी में बफर स्टॉक बनाए रखने में एफसीआई की भंडारण लागत को भी शामिल किया गया है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 2019-20 तक एफसीआई को अनपेड सबसिडी की राशि में लगातार वृद्धि हुई थी। एक तरफ केंद्र सरकार ने दावा की गई सबसिडी से कम राशि जारी की, दूसरी तरफ उसने राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के माध्यम से एफसीआई को ऋण प्रदान किया। 2020-21 में केंद्र सरकार ने एनएसएसएफ से लिए गए ऋणों को चुकाने और एफसीआई के पिछले बकाये को चुकाने के लिए प्रावधान किए। नतीजतन, 2020-21 में खाद्य

तुषार चक्रवर्ती
tushar@prsindia.org

7 फरवरी, 2025

सबसिडी पर खर्च तेजी से बढ़ा।

रेखाचित्र 1: एफसीआई द्वारा दी गई सबसिडी बनाम सरकार द्वारा जारी की गई सबसिडी (करोड़ रुपए में)

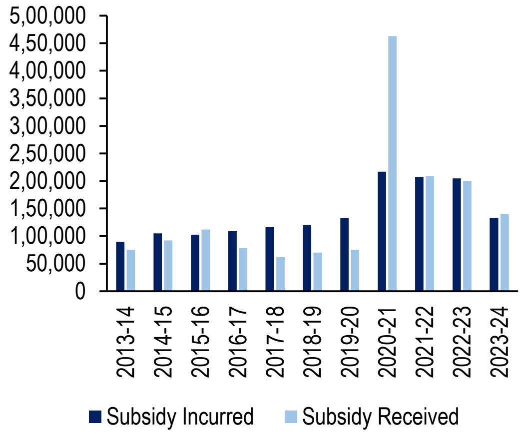

स्रोत: एफसीआई; पीआरएस।

2020-21 और 2022-23 के बीच खाद्य सबसिडी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के कारण होने वाला खर्च भी शामिल था। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त आवंटित किया गया, जिस पर तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया।[8] दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र लाभार्थियों को 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए एनएफएसए के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया।[9] बाद में इसे 1 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाले पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।[10]

तालिका 2: खाद्य सबसिडी का ब्यौरा (करोड़ रुपए में)

सबसिडी	2023-24 वास्तविक	2024-25 संशोधित	2025-26 बजटीय	2024-25 संअ से 2025-26 बज में परिवर्तन का %
एफसीआई को सबसिडी	1,39,661	-	-	-
राज्यों को सबसिडी (विकेंद्रीकृत खरीद)	71,733	-	-	-
चीनी सबसिडी	420	420	420	0%
पीएमजीकेएवाई	-	1,97,000	2,03,000	3%
कुल	**2,11,814**	**1,97,420**	**2,03,420**	**3%**

स्रोत: व्यय बजट, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

क्षेत्र से जुड़े मुद्दे

एनएफएसए के तहत कवरेज

एनएफएसए के तहत अधिकतम 75% ग्रामीण आबादी और अधिकतम 50% शहरी आबादी को सबसिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।[6] यह कवरेज नवीनतम उपलब्ध जनगणना के अनुसार जनसंख्या अनुमानों से जुड़ा हुआ है। यह दो जनगणनाओं के बीच जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर कवरेज को संशोधित करने की कोई व्यवस्था प्रदान नहीं करता। 2011 की जनगणना के अनुसार, एनएफएसए के तहत कवर किए गए पात्र लाभार्थियों की संख्या लगभग 80 करोड़ (2011 में कुल जनसंख्या का 67%) है।

अगली जनगणना 2021 में होनी थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है।[11] जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्र सरकार को ऐसा फॉर्मूला या नीति बनानी चाहिए जिससे एनएफएसए के तहत मिलने वाले लाभ 2011 की जनगणना के आधार पर सीमित न हों।[12] न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'भोजन का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है। उसने कहा था कि केंद्र सरकार 2011-2021 के दौरान जनसंख्या वृद्धि के अनुमानों का उपयोग कर यह सुनिश्चित कर सकती है कि अधिक जरूरतमंद लोगों को एनएफएसए के तहत कवर किया जाए।[12] मार्च 2025 के लिए भारत के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, 90 करोड़ से ज्यादा लोग सबसिडी वाले खाद्यान्न पाने के पात्र हो सकते हैं। जून 2020 तक छह करोड़ से ज्यादा राज्य राशन कार्ड मौजूद हैं, जिसमें एनएफएसए के दायरे के बाहर के 25 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है।[13]

हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एनएफएसए के तहत मौजूदा कवरेज बहुत अधिक है।[14] एफसीआई के पुनर्गठन पर उच्च स्तरीय समिति (2015) ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार को एनएफएसए के तहत आबादी के कवरेज पर पुनर्विचार करना चाहिए।[14] उसने कहा था कि प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित करने से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्थिति पहले के लक्षित

पीडीएस ढांचे की तुलना में और खराब हो गई है, जिसके तहत वे प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार थे।[14] उसने एनएफएसए के लिए कुल कवरेज को घटाकर लगभग 40% आबादी तक सीमित करने का सुझाव दिया था। साथ ही उसने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाकर 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने का सुझाव दिया था। 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की मासिक प्रति व्यक्ति खपत 9.6 किलोग्राम थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.1 किलोग्राम थी।[15]

केंद्रीय निर्गम मूल्य और खाद्य सबसिडी पर व्यय का प्रबंधन

खाद्य सबसिडी केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) और खाद्यान्नों के प्रबंधन की आर्थिक लागत के बीच का अंतर होता है।[16] इसमें बफर स्टॉक बरकरार रखने और राज्य सरकारों को अन्य आवंटन की लागत भी शामिल है।[16] सीआईपी वह दर होती है जिस पर केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न जारी किए जाते हैं जबकि आर्थिक लागत में खाद्यान्न प्राप्त करने और वितरित करने की लागत शामिल होती है। पिछले कुछ वर्षों में खाद्य सबसिडी में वृद्धि खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में वृद्धि के बावजूद सीआईपी में संशोधन न किए जाने के कारण हुई है (रेखाचित्र 2 और रेखाचित्र 3 देखें)। 2002-03 में चावल की आर्थिक लागत 11.7 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं की 8.8 रुपए प्रति किलोग्राम थी।[16] 2024-25 में चावल की आर्थिक लागत 39.8 रुपए प्रति किलोग्राम होने का अनुमान है, जबकि गेहूं की 27.7 रुपए प्रति किलोग्राम होने का अनुमान है।[16] एनएफएसए में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार द्वारा सीआईपी को समय-समय पर ऐसे संशोधित किया जा सकता है कि यह चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक न हो।[6]

रेखाचित्र 2: एक किलो चावल पर सबसिडी (रुपए/किग्रा में)

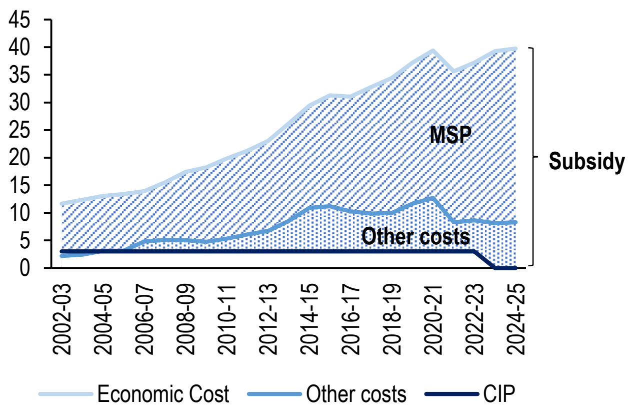

नोट: 2023-24 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं और 2024-25 के आंकड़े बजट अनुमान हैं। स्रोत: एफसीआई; पीआरएस।

.

रेखाचित्र 3: एक किलोग्राम गेहूं पर सबसिडी (रुपए/किलोग्राम में)

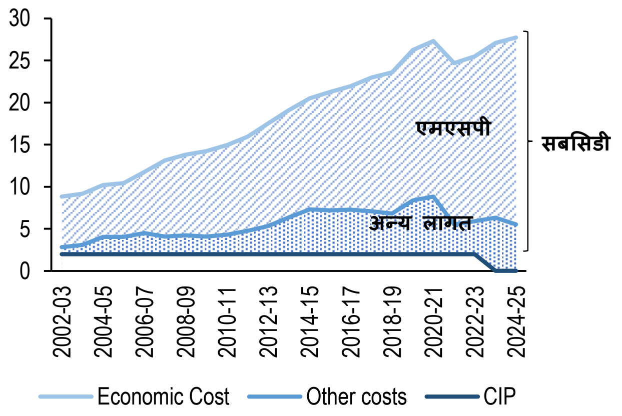

नोट: 2023-24 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं और 2024-25 के आंकड़े बजट अनुमान हैं। स्रोत: एफसीआई; पीआरएस।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का खाद्य सबसिडी बिल असहनीय रूप से बड़ा होता जा रहा है।[17] सर्वेक्षण में कहा गया है कि खाद्य प्रबंधन की आर्थिक लागत को कम करना मुश्किल है, लेकिन खाद्य सबसिडी बिल को कम करने के लिए सीआईपी को संशोधित करने पर विचार करने की आवश्यकता है।[17] 15वें वित्त आयोग ने भी कहा था कि खाद्यान्न की आर्थिक लागत में बढ़ोतरी की भरपाई आंशिक रूप से इस तरह की जा सकती है कि सबसिडी वाले खाद्यान्नों की सीआईपी बढ़ा दी जाए।[18] एक सुझाव यह है कि केवल एएवाई परिवारों को ही सबसिडी वाली दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।[14]

जनवरी 2023 से केंद्र सरकार एनएफएसए के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।[9] खाद्यान्न के इस वितरण का नाम

बदलकर पीएमजीकेएवाई कर दिया गया (अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक चलने वाली योजना के नाम पर) और इसमें एफसीआई को खाद्य सबसिडी और विकेंद्रीकृत खरीद के लिए राज्यों को सबसिडी शामिल कर दी गई।[19] नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।[10] मुफ्त खाद्यान्न वितरण पर पांच वर्षों में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है।[10] एनएफएसए के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण सीआईपी को संशोधित करने के लिए पहले के सुझावों के खिलाफ है।

रेखाचित्र 4: धान और गेहूं के एमएसपी में वृद्धि (रुपए/किग्रा में)

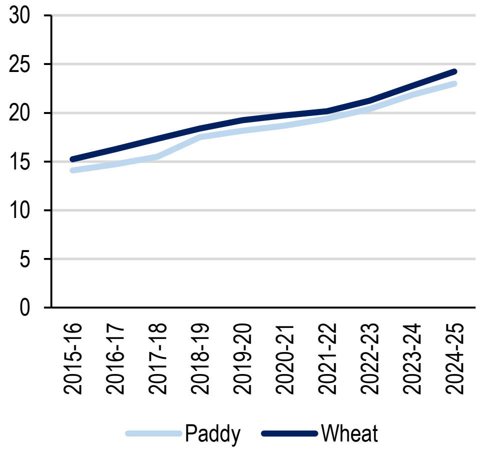

स्रोत: कृषि लागत और मूल्य आयोग; पीआरएस।

केस स्टडी: 2023-24 में खाद्य सबसिडी पर सीआईपी का प्रभाव

एनएफएसए के तहत, केंद्र सरकार गेहूं, चावल और मोटे अनाज के लिए एमएसपी तक सीआईपी को संशोधित कर सकती है।[6] जैसा कि पहले चर्चा की गई है, खाद्य सबसिडी बिल के प्रबंधन में एक सुझाव यह भी दिया गया है कि सीआईपी में संशोधन किया जाए। निम्नलिखित तालिकाओं में सीआईपी की विभिन्न दरों के लिए खाद्य सबसिडी पर प्रभाव का आकलन किया गया है। 2023-24 में तीन परिदृश्यों में एनएफएसए दरों पर वितरित चावल और गेहूं के आधार पर आंकड़ों की गणना की गई है। चावल और गेहूं के लिए एमएसपी क्रमशः 21.8 रुपए प्रति किलोग्राम और 22.8 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई थी।

तालिका 3: मुफ्त अनाज के साथ खाद्य सबसिडी (वर्तमान में क्रियान्वित)

	चावल	गेहूं
मात्रा (लाख टन)	366	165
कुल लागत (करोड़ रुपए में)	1,43,970	44,762
बिक्री आय (करोड़ रुपए)	0	0
सबसिडी (करोड़ रुपए में)	1,43,970	44,762

तालिका 4: पूर्व एनएफएसए दरों के साथ खाद्य सबसिडी

	चावल	गेहूं
मात्रा (लाख टन)	366	165
कुल लागत (करोड़ रुपए में)	1,43,970	44,762
बिक्री आय (करोड़ रुपए)	10,986	3,304
सबसिडी (करोड़ रुपए में)	1,32,983	41,458

तालिका 5: एमएसपी के बराबर सीआईपी वाली खाद्य सबसिडी (एनएफएसए के तहत सीमा)

	चावल	गेहूं
मात्रा (लाख टन)	366	165
कुल लागत (करोड़ रुपए में)	1,43,970	44,762
बिक्री आय (करोड़ रुपए)	79,944	37,583
सबसिडी (करोड़ रुपए में)	64,026	7,179

नोट: पहले एनएफएसए की दरें चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम थीं। आर्थिक लागत एफसीआई के अनुमान के अनुसार ली गई है। स्रोत: एफसीआई; कृषि लागत और मूल्य आयोग; खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग; पीआरएस।

रेखाचित्र 5: 2017-18 और 2021-22 के बीच चुनिंदा राज्यों द्वारा लगाए गए औसत वैधानिक शुल्क

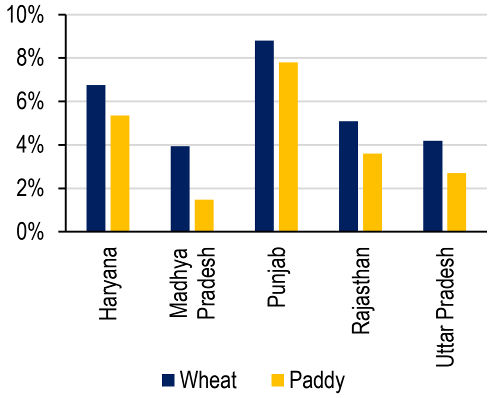

स्रोत: एफसीआई, द्वारा खाद्यान्नों का स्टोरेज मैनेजमेंट और मूवमेंट, कैग; पीआरएस।

केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने की लागत में राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न वैधानिक और गैर-वैधानिक शुल्क भी शामिल हैं।[20] वैधानिक शुल्क (जैसे मंडी शुल्क) राज्य सरकारों द्वारा एमएसपी के प्रतिशत के रूप में लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब में 2017-18 और 2021-22 के बीच गेहूं के लिए औसत वैधानिक शुल्क 8.8% था जबकि धान के लिए यह 7.8% था।[20] हरियाणा में ये शुल्क गेहूं और धान के लिए क्रमशः 6.8% और 5.4% थे। यह अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है (रेखाचित्र 5 देखें)। एमएसपी में वार्षिक वृद्धि के साथ, भुगतान किए जाने वाले वैधानिक शुल्क की मात्रा भी बढ़ जाती है।

गैर-वैधानिक शुल्कों में मंडी श्रम, परिवहन लागत और मिलिंग शुल्क शामिल हैं। गैर-वैधानिक शुल्कों में भी राज्यों के बीच काफी भिन्नताएं है।[20] कैग (2023) ने कहा था कि ऐसे शुल्कों ने खाद्यान्नों की खरीद लागत की वृद्धि में योगदान दिया है, जिसका केंद्र की खाद्य सबसिडी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।[20] उसने कहा था कि खरीद लागत को कम करने के लिए राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैधानिक और गैर-वैधानिक शुल्कों में कमी करनी होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे वैधानिक शुल्कों को एमएसपी के 2% पर सीमित रखें।[20]

एनएफएसए के तहत वितरित वस्तुओं में विविधता नहीं लाई गई है

पीडीएस की शुरुआत खाद्यान्नों को किफायती दामों पर वितरित करने के माध्यम से खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए की गई थी।[21] हालांकि यह लाभार्थियों की बढ़ती पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आहार उपभोग के स्रोतों में विविधता आई है।[22] 2015-16 (एनएफएचएस-4) और 2019-21 (एनएफएचएस-5) के बीच कुछ स्वास्थ्य संकेतक भी खराब हुए हैं। उदाहरण के लिए, एनएफएचएस-5 के अनुसार 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं, जबकि एनएफएचएस-4 के अनुसार यह संख्या 53% थी।[22] 15-49 वर्ष के बीच एनीमिया से पीड़ित पुरुषों का प्रतिशत 23% से बढ़कर 25% हो गया।[22]

एनएफएसए के तहत निर्धारित सुधारों में से एक में समय-समय पर पीडीएस के तहत वितरित वस्तुओं में विविधता लाना शामिल है।[6] हालांकि पीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्न में मुख्य रूप से केवल अनाज (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) शामिल हैं। 2013 में एक्ट लागू होने के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी आहार संबंधी दिशानिर्देशों में 2,000 कैलोरी की दैनिक खुराक को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है।[23] इसमें दालें, दूध/दही, सब्जियां और फल शामिल हैं, जबकि अनाज दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं का 42% से 45% है।[23]

वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों पर खर्च किए जाने वाले मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल एमपीसीई में अनाज की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 10.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 5% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह इसी अवधि में 6.7% से घटकर 3.8% हो गई। दूसरी ओर, कुल एमपीसीई में दूध और दूध से बने उत्पादों और फलों जैसी खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

अनाज के सेवन से प्रोटीन की मात्रा में भी कमी आई है।[24] दालों, दूध, अंडे, मछली और मांस जैसी वस्तुओं के माध्यम से उपभोग किए जाने वाले प्रोटीन के हिस्से में वृद्धि हुई है।[24] इसके अलावा, जबकि अनाज या खाद्यान्नों में केवल 10% प्रोटीन होता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल प्रोटीन सेवन के प्रतिशत के रूप में उनकी हिस्सेदारी

2011-12 में 50% से अधिक थी।[24] दालों और मांस जैसे अन्य खाद्य पदार्थों में 20% से अधिक प्रोटीन होता है, लेकिन भारत के कुल प्रोटीन सेवन में इनका हिस्सा केवल 15% है।[24] 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि खाद्य उपभोग में अनाज की हिस्सेदारी में कमी गेहूं और चावल के लिए कम वरीयता और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के लिए वरीयता में वृद्धि का संकेत है।[24]

रेखाचित्र 6: ग्रामीण भारत के लिए कुल एमपीसीई में चुनिंदा खाद्य वस्तुओं का हिस्सा (% में)

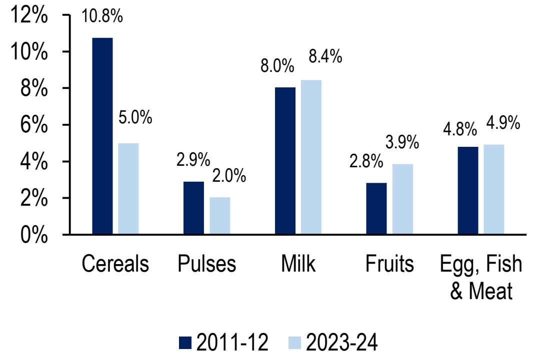

नोट: अनाज में अनाज विकल्प, दालों में चना, दूध में दूध से बने उत्पाद और फलों में ताजे और सूखे मेवे शामिल हैं। 2023-24 की वैल्यू इम्प्यूटेशन के बिना प्रयोग की गई हैं। स्रोत: फैक्ट शीट, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण: 2023-24; पीआरएस।

रेखाचित्र 7: शहरी भारत के लिए कुल एमपीसीई में चुनिंदा खाद्य वस्तुओं का हिस्सा (% में)

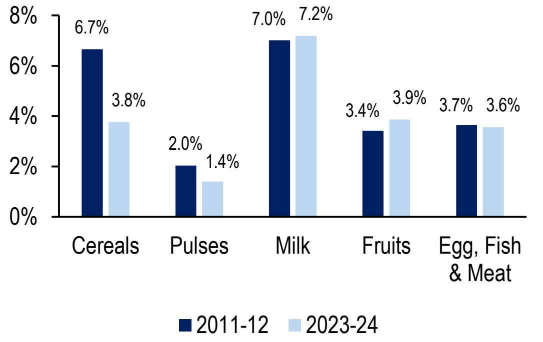

नोट: अनाज में अनाज विकल्प, दालों में चना, दूध में दूध से बने उत्पाद और फलों में ताजे और सूखे मेवे शामिल हैं। 2023-24 की वैल्यू इम्प्यूटेशन के बिना प्रयोग की गई हैं। स्रोत: फैक्ट शीट, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण: 2023-24; पीआरएस।

पीएमजीकेएवाई के तहत दालें: दालें अनाज की तुलना में प्रोटीन का बेहतर स्रोत हो सकती हैं और एनएफएसए लाभार्थियों में पोषण ग्रहण को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। अप्रैल से जून 2020 के बीच पीएमजीकेएवाई के पहले चरण के तहत, केंद्र सरकार ने एनएफएसए लाभार्थियों के लिए प्रति माह प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त में वितरित की।[25] जुलाई से नवंबर 2020 के बीच एनएफएसए के तहत आने वाले लाभार्थियों को प्रति माह प्रति परिवार एक किलो चना मुफ्त दिया गया। हालांकि, उसके बाद पीएमजीकेएवाई के तहत दालों का आवंटन जारी नहीं रखा गया।

2013-14 और 2023-24 के बीच दालों का घरेलू उत्पादन 2.3% की वार्षिक दर से बढ़ा है जो खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में वृद्धि के समान है।[26] हालांकि दालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तनशीलता दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, 2016-17 में दालों का उत्पादन 2015-16 की तुलना में 42% बढ़ा, लेकिन 2018-19 में 2017-18 की तुलना में 13% कम हुआ। इसके अलावा, भारत दालों की अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर बना हुआ है। 2020-21 में दालों के लिए भारत की आयात निर्भरता 9% थी, जो 2030-31 तक घटकर 3.6% होने का अनुमान है।[27] 2023-24 में भारत का दाल उत्पादन 2022-23 की तुलना में 7% घटकर 242 लाख टन रह गया, जबकि आयात लगभग दोगुना होकर 47 लाख टन हो गया। यह गेहूं और चावल के विपरीत है, जहां घरेलू उत्पादन घरेलू खपत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर 2016 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रभावी खरीद के साथ-साथ उच्च एमएसपी की आवश्यकता होगी।[28] उसने धीरे-धीरे 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक बनाने का सुझाव दिया था।[28] उल्लेखनीय है कि दालों को अनाज की तुलना में स्टोर करना अधिक कठिन है, जिससे बफर स्टॉक बनाना कठिन हो जाता है।[29] उन्हें कीटों और सूक्ष्मजीवों से अधिक नुकसान होता है। इससे मात्रात्मक नुकसान होता है और विटामिन की कमी और प्रोटीन की गुणवत्ता में गिरावट के कारण पोषक मूल्य कम हो जाता है।[29]

खाद्य सबसिडी का वितरण

पीडीएस में लीकेज: लीकेज का मतलब है कि खाद्यान्न का इच्छित लाभार्थियों तक न पहुंचना। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, पीडीएस में लीकेज का अनुमान लगभग 47% था।[14,30] लीकेज तीन प्रकार के हो सकते हैं: (i) खाद्यान्नों के परिवहन के दौरान

चोरी या क्षति, (ii) फर्जी कार्ड जारी करके उचित मूल्य की दुकानों पर गैर-लाभार्थियों को खाद्यान्न भेजना, और (iii) ऐसे लोगों को बाहर करना (एक्सक्लूजन) जो खाद्यान्न के हकदार हैं लेकिन लाभार्थी सूची में नहीं हैं।[31,32]

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2022-23) के आधार पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) द्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र में पीडीएस के तहत खाद्यान्नों के 28% लीकेज का अनुमान लगाया गया है।[33] इसमें एफसीआई और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न शामिल हैं। अध्ययन में खाद्यान्नों के उठान और वास्तविक घरेलू खपत के बीच के अंतर के आधार पर लीकेज का अनुमान लगाया गया है।[33] उल्लेखनीय है कि स्टैंडिंग कमिटी (2015) और उच्च स्तरीय समिति (2015), दोनों ने 2011 में पीडीएस लीकेज पर चर्चा करते समय आईसीआरआईईआर के एक पुराने अध्ययन का हवाला दिया था।

हालांकि विभाग ने 2022-23 के सर्वेक्षण पर आधारित आईसीआरआईईआर अध्ययन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उसने कहा कि उठान का अर्थ है कि राज्यों ने खाद्यान्न की कितनी मात्रा उठाई है, जबकि वितरण से तात्पर्य लाभार्थियों तक उनकी डिलीवरी से है।[34] उठान के आंकड़ों में पारगमन में स्टॉक, बफर आवंटन और परिचालन भंडार शामिल हैं जिन्हें तुरंत घरों में वितरित नहीं किया जाता है। विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को किसी विशेष महीने के लिए आवंटित खाद्यान्न को पिछले महीने के अंतिम दिन तक उठाना आवश्यक है।[35] ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उठाया गया खाद्यान्न आवंटन महीने में ही लाभार्थियों को वितरित किया जाए।[35]

एक्सक्लूजन से संबंधित गलतियां तब होती हैं जब पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं मिलता है। यह उन गरीब परिवारों का प्रतिशत होता है जो पात्र हैं लेकिन उनके पास पीडीएस कार्ड नहीं हैं। एक्सक्लूजन से संबंधित गलतियां 2004-05 में 55% से घटकर 2011-12 में 41% हो गई थीं।[36] इन्क्लूजन से संबंधित गलतियां तब होती हैं, जब अपात्र लोगों को अनुचित लाभ मिलता है। इन्क्लूजन से संबंधित गलतियां 2004-05 में 29% से बढ़कर 2011-12 में 37% हो गई थीं।[36]

पीडीएस के तहत लीकेज की बड़ी मात्रा के मद्देनजर उच्च स्तरीय समिति (2015) ने आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को शामिल करने का सुझाव दिया था।[14] फरवरी 2017 में मंत्रालय ने एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया।[37] हालांकि राशन कार्ड के साथ आधार को न जोड़ना, राशन कार्ड को रद्द करने का आधार नहीं है।[38] सबसिडी वाले खाद्यान्न या खाद्य सबसिडी के नकद अंतरण का लाभ उठाने के लिए आधार नामांकन के आवेदन की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है। इस समय अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 है।[39] केंद्र सरकार के अनुसार, राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, डुप्लीकेशन हटाने और फर्जी/अयोग्य राशन कार्डों की पहचान जैसे उपायों के कारण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2013 से 2024 के बीच लगभग छह करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं।[40] जनवरी 2025 तक लगभग सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया गया है।[41]

कई बार लाभार्थियों को पीडीएस का लाभ प्राप्त करने में आधार प्रमाणीकरण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यूआईडीएआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए आंकड़े के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण विफलता दर (सभी उद्देश्यों के लिए) आईरिस स्कैन के लिए 8.5% और फिंगरप्रिंट के लिए 6% थी।[42] अपने फैसले (2018) में न्यायालय ने माना था कि आधार प्रमाणीकरण विफलता के कारण लाभार्थियों को सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।[42]

इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (ईपीओएस) लगाकर उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का ऑटोमेशन एक और सुधार है जिसे पीडीएस में लीकेज को दूर करने के लिए सुझाया गया है। इससे लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान के बाद खाद्यान्नों के पारदर्शी वितरण में मदद मिलती है।[43] इसके अलावा, ईपीओएस डिवाइस बिक्री लेनदेन के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीकृत सर्वर पर अपलोड भी करते हैं।[43] दिसंबर

2024 तक राज्यों में कुल एफपीएस में से 99.6% ईपीओएस डिवाइस से लैस थे।[44]

हालांकि ईपीओएस डिवाइस के माध्यम से लाभार्थियों के प्रमाणीकरण में कुछ समस्याएं देखी गई हैं। राज्यों में एनएफएसए के कार्यान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों में इन मुद्दों को चिह्नित किया गया है। उदाहरण के लिए, जनवरी से जून 2023 के बीच बिहार के छह जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।[45] यह समस्या विशेष रूप से वृद्ध लाभार्थियों और बच्चों के मामले में अधिक गंभीर थी।[45] अध्ययन में यह भी पाया गया कि कुछ एफपीएस डीलर ईपीओएस डिवाइस को चलाने में सहज नहीं थे और उन्हें खाद्यान्न वितरण के दौरान डिवाइस को चलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ा था।[45] कई बार खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण भी कुछ जिलों में खाद्यान्न वितरण समय पर नहीं हुआ।[45] झारखंड और ओड़िशा जैसे अन्य राज्यों में भी लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कई तरह की समस्याएं देखी गई हैं।[46,47]

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): एनएफएसए में प्रावधान है कि लक्षित पीडीएस में सुधारों में से एक नकद अंतरण और खाद्य कूपन जैसी योजनाओं की शुरुआत है।[6] एफसीआई पर उच्च स्तरीय समिति (2015) ने कहा था कि एनएफएसए के तहत कवर की गई अधिकांश ग्रामीण आबादी किसान या खेतों में काम करने वाले लोग हैं।[14] इसका तात्पर्य यह है कि सरकार अक्सर उन्हीं लोगों के लिए अनाज खरीदती है, और भंडारण एवं वितरित करती है जिनसे वह एमएसपी पर अनाज खरीद रही है।[14] कमिटी ने सुझाव दिया था कि ऐसे किसानों और खेत मजदूरों को नकद सबसिडी देना बेहतर होगा। ऐसा माना गया कि इससे केंद्र सरकार के सबसिडी के खर्च में कमी आएगी और साथ ही लाभार्थियों को मिलने वाली प्रभावी सबसिडी सहायता में भी सुधार होगा।[14] कमिटी ने अनुमान लगाया था कि इससे केंद्र सरकार को करीब 30,000-35,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। उसने मुद्रास्फीति के अनुरूप नकद अंतरण का सुझाव दिया था।[14]

सितंबर 2015 में केंद्र सरकार ने नकद अंतरण के माध्यम से खाद्य सबसिडी प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए। इसे चंडीगढ़, पुद्दूचेरी और दादरा नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।[48] केंद्र सरकार के अनुसार इन पायलट प्रोजेक्ट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: (i) खाद्यान्नों की भौतिक आवाजाही की आवश्यकता को कम करना, (ii) लाभार्थियों को अपना खपत समूह चुनने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, और (iii) लक्ष्यीकरण में सुधार के साथ-साथ लीकेज को कम करना।[48] हालांकि पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने के नौ वर्ष बाद भी राज्यों में डीबीटी का उपयोग सीमित रहा है। पुद्दूचेरी सरकार ने एनएफएसए के तहत डीबीटी योजना से छूट मांगी थी।[49] हालांकि केंद्र ने उसके अनुरोध को ठुकरा दिया।[49] झारखंड के नगरी ब्लॉक में शुरू की गई डीबीटी पायलट परियोजना को लॉन्च होने के 10 महीने बाद 2018 में बंद कर दिया गया।[50] समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार, योजना के सामाजिक ऑडिट से पता चला है कि कुछ लाभार्थियों को धनराशि मिलने के बाद, राशन मिलने में चार दिन से अधिक का समय लगा।[50] इसके अलावा, कुछ लाभार्थियों को राशन खरीदने के लिए धनराशि उधार भी लेनी पड़ी।[50]

कर्नाटक में चावल के लिए नकद अंतरण

2023 में कर्नाटक ने नियमित एनएफएसए पात्रता के अलावा पांच किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए अन्नभाग्य योजना शुरू की।[51] योजना के तहत वितरण के लिए चावल के अतिरिक्त स्टॉक को सुरक्षित करने में असमर्थता के कारण, कर्नाटक चावल के बदले लाभार्थियों को नकद अंतरण कर रहा है। 34 रुपए प्रति किलो की दर से पांच किलो चावल खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 170 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।[51] 16 फरवरी, 2024 तक राज्य ने लगभग चार करोड़ लाभार्थियों को 4,595 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे।[51]

वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी): एनएफएसए पात्रता की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए केंद्र सरकार ने ओएनओआरसी को लागू किया है। इस योजना के तहत, एनएफएसए लाभार्थियों के पास अपने मौजूदा राशन कार्ड से देश भर में किसी

भी एफपीएस से अपने हिस्से का अनाज खरीदने का विकल्प है।[52] इसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। अगस्त 2019 से मार्च 2023 के बीच ओएनओआरसी के तहत लगभग 100 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए गए। हालांकि इनमें से केवल 0.7% अंतर-राज्यीय लेनदेन थे जबकि शेष राज्य के भीतर के लेनदेन थे।[53]

खाद्यान्न की खरीद

खरीद की दो व्यापक प्रणालियां हैं: (i) केंद्रीकृत और (ii) विकेंद्रीकृत।[54] केंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत, खाद्यान्नों की खरीद या तो सीधे एफसीआई द्वारा या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा (एमएसपी पर) की जाती है। राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों को भंडारण, वितरण या परिवहन के लिए एफसीआई को सौंप दिया जाता है। विकेंद्रीकृत खरीद के तहत राज्य सरकार/एजेंसियां राज्य के भीतर चावल/गेहूं/मोटे अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण करती हैं। चावल और गेहूं के अतिरिक्त स्टॉक को केंद्रीय पूल में एफसीआई को सौंप दिया जाता है। राज्यों और उसकी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नवंबर 2024 तक 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने धान/चावल की विकेंद्रीकृत खरीद की, जबकि नौ राज्यों ने गेहूं की विकेंद्रीकृत खरीद की।[44] केंद्रीय पूल के लिए चावल और गेहूं की राज्यवार खरीद के लिए अनुलग्नक देखें।

विकेंद्रीकृत खरीद: खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा था कि विकेंद्रीकृत खरीद शुरू होने के 24 वर्ष बाद भी इस योजना को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू नहीं किया गया है।[55] विभाग ने कमिटी को बताया था कि चूंकि विकेंद्रीकृत खरीद में राज्य सरकारों को धनराशि, भंडारण और जनशक्ति की व्यवस्था करनी होती है, इसलिए वे इसे अपनाने में हिचकिचाते हैं।[55] खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद को अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इसमें एफसीआई को खाद्यान्नों का स्टॉक अपने कब्जे में लेने और फिर उसे राज्यों को जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है।[55] स्टैंडिंग कमिटी ने सुझाव दिया था कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद को अपनाना चाहिए।[55] इससे एनएफएसए का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और पीडीएस के तहत वितरण के लिए स्थानीय स्वाद के अनुकूल खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा।[55] कमिटी ने केंद्र सरकार से राज्यों को विकेंद्रीकृत खरीद में मदद करने का सुझाव दिया था।

खाद्यान्नों का भंडारण

पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए खाद्यान्नों को स्टोर करने हेतु, एफसीआई के पास अपनी खुद की और साथ ही किराए पर ली गई भंडारण क्षमता है।[56] एफसीआई केंद्रीय और राज्य भंडारण निगमों, राज्य एजेंसियों और निजी पक्षों से भंडारण क्षमता किराए पर लेता है।[56] नए गोदामों का निर्माण एफसीआई द्वारा मुख्य रूप से निजी भागीदारी के जरिए किया जाता है।

कैग (2023) का कहना है कि 2018 और 2022 के बीच एफसीआई की स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता काफी हद तक अपरिवर्तित रही (क्षमता के पुनर्मूल्यांकन के कारण 2022 में वृद्धि को छोड़कर)।[20] स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता विशेष रूप से उन राज्यों में काफी कम थी, जिन्होंने एफसीआई की खाद्यान्न खरीद में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उदाहरण के लिए पंजाब में 2017-18 और 2021-22 के बीच 228 लाख टन खाद्यान्न की औसत खरीद के मुकाबले एफसीआई की औसत स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता केवल 31 लाख टन थी। कैग ने कहा था कि किराए पर ली गई भंडारण क्षमता में वृद्धि से केंद्र सरकार के खाद्य सबसिडी बिल में वृद्धि हुई है।[20] भंडारण क्षमता किराए पर लेने का शुल्क 2017-18 में 2,713 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 3,097 करोड़ रुपए हो गया।[20]

रेखाचित्र 8: एफसीआई की स्वामित्व बनाम किराये पर ली गई भंडारण क्षमता (% में)

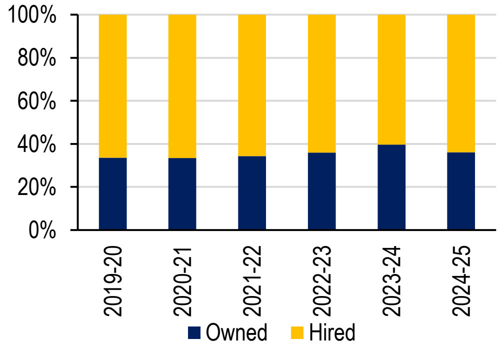

नोट: प्रत्येक वर्ष 30 जून तक के आंकड़े। स्रोत: एफसीआई; पीआरएस।

स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि एफसीआई ने 2019-20 और 2023-24 के बीच भंडारण और गोदामों के निर्माण के अपने लक्ष्य को लगातार पूरा नहीं किया है।[44] मंत्रालय के अनुसार, भंडारण के निर्माण में एक बड़ी बाधा राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण है जिसमें काफी समय लगता है।[44] अन्य समस्याओं में कठिन परिस्थितियां (पूर्वोत्तर राज्यों में) और खराब मौसम शामिल हैं। कमिटी ने मंत्रालय को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया जिसमें इन मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे।[44]

गन्ना

विभाग चीनी क्षेत्र के लिए नीतियां और नियम बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। इसमें चीनी मिलों द्वारा किसानों को देय गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करना, चीनी के उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करना और चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करना शामिल है। 2021-22 से 2024-25 तक के चीनी सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के लिए दिसंबर 2024 तक, गन्ना किसानों का 4,525 करोड़ रुपए बकाया था।[57] मांग से अधिक चीनी का घरेलू उत्पादन होने से चीनी का स्टॉक जमा हो जाता है। सामान्य चीनी सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग 320-360 लाख मीट्रिक टन होता है, जबकि घरेलू खपत लगभग 260-280 लाख मीट्रिक टन होती है।[53] यह अतिरिक्त उत्पादन चीनी मिलों की तरलता को प्रभावित करता है, जिससे गन्ना किसानों का बकाया जमा हो जाता है।

अतिरिक्त चीनी उत्पादन से निपटने के तरीकों में से एक अतिरिक्त चीनी का निर्यात करना है।[58] हालांकि, अक्सर भारतीय चीनी उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता है।[58] विदेशी बाजार के अधिकांश हिस्से पर पहले से ही अन्य अधिशेष चीनी उत्पादक देशों ने कब्जा किया हुआ है। भारत में चीनी उत्पादन की लागत भी अन्य निर्यातकों की तुलना में अधिक है।[58] गन्ना और चीनी उद्योग पर एक टास्क फोर्स (2020) ने कहा था कि भारत में चीनी उत्पादन की लागत 36 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि वैश्विक स्तर पर यह लागत 18.5 रुपए प्रति किलोग्राम थी।[58] गन्ना भी पानी की अधिक खपत वाली फसल है। औसतन, एक किलो चीनी के लिए लगभग 1,500-2,000 किलोग्राम पानी की आवश्यकता होती है।[58] टास्क फोर्स ने कहा था कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गन्ने की खेती के कारण पानी पर दबाव एक चिंता का विषय बन गया है।[58]

इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम: केंद्र सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में अतिरिक्त गन्ने का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में इथेनॉल का उत्पादन गन्ने के रस, मोलेसिस, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, एफसीआई से चावल और मक्का से किया जाता है।[53] राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के तहत, केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेडिंग हासिल करना है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (दिसंबर से नवंबर) 2023-24 (20 अक्टूबर, 2024 तक) तक, भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल की 13.9% ब्लेडिंग का लक्ष्य हासिल किया था।[44] चीनी सीजन 2021-22 में, लगभग 36 लाख टन अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल के उत्पादन के लिए डायवर्ट किया गया।[53] भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 1,683 करोड़ लीटर है, जबकि 20% ब्लेडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1,700 करोड़ लीटर की आवश्यकता है।[44] 20% ब्लेडिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, 2025 तक लगभग 60 लाख टन चीनी को डायवर्ट किया जाएगा।[53] इससे उच्च चीनी भंडार कम हो सकते हैं, चीनी मिलों की तरलता में सुधार हो सकता है और किसानों को समय पर बकाया भुगतान हो सकता है।[53] चीनी सीजन 2023-24 में, इथेनॉल के उत्पादन के लिए 24 लाख टन चीनी को डायवर्ट किया गया था। यह 2023-24 में कुल चीनी स्टॉक का 6% था।[59] हालांकि, इथेनॉल ब्लेडिंग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गन्ना उत्पादन में कोई भी वृद्धि फसल उत्पादक राज्यों में जल स्तर पर और अधिक दबाव डाल सकती है। उल्लेखनीय है कि ब्राजील, जो ईंधन में इथेनॉल मिलाता है, ने अपने उत्पादन में मक्के का उपयोग बढ़ा दिया है।[60]

गन्ने की कीमतें: कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा घोषित एफआरपी से अधिक स्तर पर अपना राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) तय करती हैं। इससे चीनी मिलों की वित्तीय सेहत पर और दबाव पड़ता है। गन्ना और चीनी उद्योग पर टास्क फोर्स (2020) ने सुझाव दिया है कि गन्ने की कीमतों को

चीनी की कीमतों से लिंक किया जाना चाहिए।[58] एफआरपी में वृद्धि को नियंत्रित रखा जाना चाहिए और एसएपी की घोषणा करने वाले राज्यों को इससे जुड़ी अतिरिक्त लागत भी वहन करनी चाहिए।[58] टास्क फोर्स ने गन्ने के लिए चरणों में भुगतान की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को पूरा बकाया दो महीने के भीतर चुका दिया जाए।[58] केंद्र सरकार चीनी के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य भी तय करती है। 14 फरवरी, 2019 से इसे 29 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 31 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।[61] टास्क फोर्स ने चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य को बढ़ाकर 33 रुपए प्रति किलोग्राम करने का सुझाव दिया था, जिसकी अधिसूचना के छह महीने बाद समीक्षा की जानी थी।[58] उसने कहा था कि बिक्री मूल्य बढ़ाने से चीनी मिलों को अपने उत्पादन और रखरखाव की लागत को कवर करने में मदद मिलेगी।

अनुलग्नक

तालिका 6: 2025-26 में विभाग के अंतर्गत व्यय की प्रमुख मदों के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

मद	2023-24 वास्तविक	2024-25 बजटीय	2024-25 संशोधित	2025-26 बजटीय	2024-25 संअ से 2025-26 बज में परिवर्तन का %
खाद्य सबसिडी	2,11,814	2,05,250	1,97,420	2,03,420	3%
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सबसिडी	1,39,661	-	-	-	-
राज्यों को सबसिडी (विकेंद्रीकृत खरीद)	71,733	-	-	-	-
पीडीएस के तहत देय चीनी सबसिडी	420	0	420	420	0%
पीएमजीकेएवाई	-	2,05,250	1,97,000	2,03,000	3%
खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय आवागमन तथा उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता	8,704	7,075	7,075	7,075	0%
इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	400	450	600	600	0%
विभाग	**2,32,223**	**2,13,020**	**2,05,475**	**2,11,406**	**3%**

स्रोत: मांग संख्या 15, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, व्यय बजट, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

तालिका 7: केंद्रीय पूल के लिए गेहूं का उत्पादन और खरीद (लाख टन में)

राज्य	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
	उत्पादन	खरीद	%	उत्पादन	खरीद	%	उत्पादन	खरीद	%	उत्पादन	खरीद	%	उत्पादन	खरीद	%
बिहार	65	0	0%	56	0	0%	62	5	7%	62	0	0%	65	0	0%
गुजरात	24	0	0%	33	1	2%	33	2	5%	33	0	0%	35	0	0%
हरियाणा	126	93	74%	119	74	62%	124	85	69%	104	42	40%	109	63	58%
हिमाचल प्रदेश	6	0	0%	6	0.03	1%	6	0.1	2%	5	0.03	1%	6	0.03	1%
जम्मू एवं कश्मीर	7	0	0%	5	0	0%	5	0.2	5%	6	0	0%	6	0	0%
मध्य प्रदेश	165	67	41%	196	129	66%	182	128	70%	230	46	20%	227	71	31%
महाराष्ट्र	12	0	0%	18	0	0%	21	0	0%	21	0	0%	24	0	0%
पंजाब	183	129	71%	176	127	72%	172	132	77%	149	96	65%	168	121	72%
राजस्थान	101	14	14%	109	22	20%	110	23	21%	101	0	0%	106	4	4%
उत्तर प्रदेश	327	37	11%	338	36	11%	355	56	16%	340	3	1%	336	2	1%
उत्तराखंड	10	0.4	4%	9	0.4	4%	10	1	15%	9	0	0%	8	0	0%
अन्य	1	0.1	13%	1	0.1	10%	18	0.2	1%	17	0	0%	1	0.1	8%
कुल	**1,026**	**341**	**33%**	**1,066**	**390**	**37%**	**1,096**	**433**	**40%**	**1,077**	**188**	**17%**	**1,092**	**262**	**24%**

स्रोत: 6वीं रिपोर्ट, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी, 16 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

तालिका 8: 13 दिसंबर 2024 तक गन्ना किसानों का बकाया (करोड़ रुपए में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल बकाया
आंध्र प्रदेश	-	-	8	30	38
बिहार	-	-	-	159	159
कर्नाटक	-	-	-	1,405	1,405
महाराष्ट्र	32	10	2	526*	570
तमिलनाडु	-	-	11	24	35
उत्तर प्रदेश	37	128	1,212	574	1,951
उत्तराखंड	-	-	10	149	159
अन्य	28	-	32	148	208
कुल	**97**	**138**	**1,275**	**3,015**	**4,525**

नोट: *आंकड़े 30 नवंबर, 2024 तक का है। स्रोत: तारांकित प्रश्न संख्या 336, लोकसभा, 18 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

तालिका 9: केंद्रीय पूल के लिए चावल का उत्पादन और खरीद (लाख टन में)

राज्य	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
	उत्पादन	खरीद	%	उत्पादन	खरीद	%	उत्पादन	खरीद	%	उत्पादन	खरीद	%	उत्पादन	खरीद	%
आंध्र प्रदेश	87	55	64%	79	57	72%	78	45	57%	79	28	35%	73	20	28%
असम	50	2	4%	52	1	3%	44	4	9%	56	4	7%	55	3	5%
बिहार	63	13	21%	67	24	35%	77	30	39%	70	28	40%	79	21	26%
छत्तीसगढ़	68	51	75%	72	48	66%	80	62	77%	98	59	60%	97	83	86%
गुजरात	20	0.1	1%	21	1	3%	21	1	4%	24	1	5%	24	1	2%
हरियाणा	48	43	89%	44	38	86%	46	37	80%	51	40	78%	60	39	66%
हिमाचल प्रदेश	1	0	0%	1	0	0%	2	0.2	11%	1	0.1	7%	2	0.2	9%
जम्मू एवं कश्मीर	6	0.1	2%	6	0.3	4%	5	0.3	5%	0	0	-	6	0.2	2%
झारखंड	30	3	8%	28	4	16%	29	5	17%	15	1	8%	15	1	3%
कर्नाटक	36	0.4	1%	43	1	3%	43	1	3%	43	0	0%	31	-	-
केरल	6	5	80%	6	5	82%	5	5	105%	6	5	83%	5	4	76%
मध्य प्रदेश	48	17	36%	44	25	57%	48	31	64%	70	31	44%	72	28	39%
महाराष्ट्र	29	12	40%	33	13	39%	36	12	34%	39	12	32%	39	8	20%
ओड़िशा	84	48	57%	88	53	60%	93	48	52%	83	54	65%	85	48	57%
पंजाब	118	109	92%	128	136	106%	129	125	97%	130	122	94%	144	124	86%
राजस्थान	5	0	0%	6	0	0%	5	0.05	1%	6	0	0%	7	-	-
तमिलनाडु	72	22	31%	69	31	44%	79	19	24%	76	23	30%	68	24	35%
तेलंगाना	74	75	100%	102	95	93%	124	74	60%	159	88	56%	169	64	38%
उत्तर प्रदेश	155	38	24%	155	45	29%	153	44	29%	161	44	27%	160	36	23%
उत्तराखंड	7	7	104%	7	7	100%	7	8	108%	6	6	95%	6	5	76%
पश्चिम बंगाल	159	18	12%	135	19	14%	167	24	14%	155	22	14%	157	17	11%
अन्य	24	0.3	1%	56	0.4	1%	24	1	2%	29	0.4	1%	23	0.4	2%
कुल	**1,189**	**518**	**44%**	**1,244**	**602**	**48%**	**1,295**	**576**	**44%**	**1,358**	**569**	**42%**	**1,378**	**525**	**38%**

स्रोत: 6वीं रिपोर्ट, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी, 16 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

तालिका 10: खाद्यान्न की खरीद, उठान और स्टॉक (लाख टन में)

वर्ष	खरीद			उठान			% उठान	स्टॉक		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल		चावल	गेहूं	कुल
2004-05	246.7	168.0	414.7	232.0	182.7	414.7	100%	133.4	40.7	179.7
2005-06	275.8	147.9	423.7	250.8	171.7	422.5	100%	136.8	20.1	166.2
2006-07	251.1	92.3	343.4	250.6	117.1	367.7	107%	131.7	47.0	179.3
2007-08	287.4	111.3	398.7	252.3	122.1	374.4	94%	138.4	58.0	197.5
2008-09	341.0	226.9	567.9	246.2	148.8	395.0	70%	216.0	134.3	355.8
2009-10	320.3	253.8	574.1	273.7	223.5	497.2	87%	267.1	161.3	433.1
2010-11	342.0	225.1	567.1	299.3	230.7	530.0	93%	288.2	153.6	443.1
2011-12	350.6	283.3	633.9	321.2	242.6	563.8	89%	333.5	199.5	534.0
2012-13	340.4	382.2	722.6	326.4	332.1	658.5	91%	354.7	242.1	597.6
2013-14	318.5	250.7	569.2	292.1	306.2	598.4	105%	305.0	178.3	494.7
2014-15	320.4	281.3	601.7	307.3	252.2	559.4	93%	237.9	172.2	413.1
2015-16	342.2	280.9	623.1	318.2	318.4	636.6	102%	287.8	145.4	435.7
2016-17	381.1	229.3	610.4	327.9	291.0	618.9	101%	297.5	80.6	379.7
2017-18	381.8	308.3	690.1	350.1	252.8	602.8	87%	300.2	132.3	433.6
2018-19	443.3	358.0	801.3	344.4	314.7	659.1	82%	397.6	169.9	568.1
2019-20	519.9	341.3	861.2	349.7	272.2	621.9	72%	491.5	247.0	738.9
2020-21	600.7	389.9	990.6	568.6	368.4	937.0	95%	499.3	273.0	779.3
2021-22	592.7	433.5	1026.2	552.1	505.9	1058.0	103%	550.4	189.9	745.2
2022-23	569.5	187.9	757.4	639.9	291.6	931.5	123%	433.8	83.5	521.6
2023-24	524.6	262.0	786.6	405.1	271.8	676.9	86%	531.5	75.0	610.3

नोट: कुल स्टॉक में मोटे अनाज शामिल हैं। स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, भारतीय रिजर्व बैंक; पीआरएस।

[1] Ministry-wise Summary of Budget Provisions, Union Budget 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sumsbe.pdf.

[2] About DCA, Department of Consumer Affairs, https://consumeraffairs.nic.in/about-us/about-dca.

[3] Department of Consumer Affairs, Expenditure Budget, Union Budget 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe14.pdf.

[4] Introduction, Department of Food and Public Distribution, https://dfpd.gov.in/Home/ContentManagement?Url=fun-hi.htm&ManuId=2&language=1.

[5] Department of Food and Public Distribution, Expenditure Budget, Union Budget 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe15.pdf.

[6] The National Food Security Act, 2013, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2113/1/201320.pdf.

[7] Unstarred Question No. 1192, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Lok Sabha, February 9, 2021, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/175/AU1192.pdf?source=pqals.

[8] Unstarred Question No. 1994, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Rajya Sabha, December 23, 2022, https://sansad.in/getFile/annex/258/AU1994.pdf?source=pqars.

[9] "Free foodgrains to 81.35 crore beneficiaries under National Food Security Act: Cabinet Decision", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, December 23, 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1886215.

[10] "Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, November 29, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1980689#:~:text=The%20Cabinet%20led%20by%20Prime,from%201%20st%20January%2C%202024.

[11] Unstarred Question No, 2287, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, December 20, 2022, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1710/AU2287.pdf?source=pqals.

[12] Miscellaneous Application No. 94 of 2022, Supreme Court of India, July 21, 2022, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2022/2157/2157_2022_11_16_36554_Judgement_21-Jul-2022.pdf.

[13] "Department of Food & Public Distribution refutes a news report published in 'The Wire' regarding distribution of food grains & pulses", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, June 4, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1629465.

[14] Report of the High Level Committee on Reorienting the Role and Restructuring of Food Corporation of India, January 2015.

[15] Survey on Household Consumption Expenditure: 2022-23, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, June 2024, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Report_591_HCES_2022-23New.pdf.

[16] Budget and Cost, Finance, Food Corporation of India, as accessed on February 6, 2025, https://fci.gov.in/headquarter/view/BUDGET-AND-COST-584.

[17] Chapter 7, Agriculture & Food Management, Volume-2, Economic Survey 2020-21, January 2021, https://www.indiabudget.gov.in/budget2021-22/economicsurvey/doc/echapter_vol2.pdf.

[18] Chapter 4, Volume-I Main Report, 15th Finance Commission, October 2020, https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/fincom15/Reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf.

[19] "Centre names new integrated food security scheme launched from 1 January 2023 as "Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY)", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, January 11, 2023, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1890272.

[20] Report of the Comptroller and Auditor General of India on Storage, Management and Movement of Food Grains by Food Corporation of India, Comptroller and Auditor General of India, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2023/Report-No.-20-of-2023_PA-on-FCI_English-PDF-A-066b9d3c33f4c35.05840530.pdf.

[21] Public Distribution System, National Food Security Portal, Department of Food and Public Distribution, as accessed on February 6, 2025, https://nfsa.gov.in/portal/PDS_page.

[22] National Family Health Survey (NFHS-5), 2019-20, India Report, Ministry of Health and Family Welfare, March 2022, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR375/FR375.pdf.

[23] ICMR-NIN Expert Committee, Dietary Guidelines for Indians-2024, https://www.nin.res.in/dietaryguidelines/pdfjs/locale/DGI07052024P.pdf.

[24] Chapter 8: Department of Food and Public Distribution, Volume-III The Union, 15th Finance Commission, October 2020, https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC-Vol-III-Union.pdf.

[25] "75987138.23 MT tentative total allocation under PMGKAY (Phase –I to Phase-V)", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, February 2, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794809.

[26] First Advance Estimates of Production of Food Grains for 2024-25, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, November 5, 2024, https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2024/11/Time-Series-1st-AE-2024-25-English.pdf.

[27] "India Inching Towards 'Atmanirbharta' in Pulses", Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, June 15, 2022, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jun/doc202261565201.pdf.

[28] Incentivising Pulses Production Through Minimum Support Price (MSP) and Related Policies, Report by Chief Economic Advisor, September 16, 2016, https://dea.gov.in/sites/default/files/Pulses_report_16th_sep_2016.pdf.

[29] Post-Harvest Management of Pulses, Indian Institute of Pulses Research, October 2007, https://iipr.icar.gov.in/wp-content/themes/ICAR-wp/images/pdf/postbulletins2may13.pdf.

[30] Third Report: 'Demands for Grants (2015-16)', Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Lok Sabha, April 2015, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Consumer%20Affairs,%20Food%20and%20Public%20Distribution/16_Food_Consumer_Affairs_And_Public_Distribution_3.pdf?source=loksabhadocs.

[31] The Case for Direct Cash Transfers to the Poor, Economic and Political Weekly, April 2008, https://casi.sas.upenn.edu/sites/default/files/iit/Kapur%20et%20al.pdf.

[32] Performance Evaluation of Targeted Public Distribution System, Planning Commission of India, March 2005, https://dmeo.gov.in/sites/default/files/2019-10/Performance%20Evaluation%20of%20Targeted%20Public%20Distribution%20System%20%28TPDS%29.pdf.

[33] Rationalising Public Distribution System in India, Indian Council for Research on International Economic Relations, November 2024, https://icrier.org/pdf/pb-27.pdf.

[34] Unstarred Question No. 3852, Lok Sabha, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 18, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3852_1BOF8y.pdf?source=pqals.

[35] Guidelines regarding lifting and extension of foodgrains, Department of Food and Public Distribution, as accessed on February 6, 2025, https://dfpd.gov.in/allocation-food.html/en.

[36] Role of the Public Distribution System in Shaping Household Food and Nutritional Security in India, National Council of Applied Economic Research, December 2016.

[37] S.O. 371(E), Notification, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, February 8, 2017, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2017/174131.pdf.

[38] Unstarred Question No. 1522, Rajya Sabha, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 10, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1522.pdf.

[39] S.O. 5506(E), Notification, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 18, 2024, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/259557.pdf.

[40] Unstarred Question No. 3906, Lok Sabha, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 18, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3906_hRWsqH.pdf?source=pqals.

[41] National Food Security Portal, as accessed on January 30, 2025, https://nfsa.gov.in/public/nfsadashboard/publicrcdashboard.aspx.

[42] Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) and Another vs Union of India and Others, W. P. (C.) No. 494 of 2012, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2012/35071/35071_2012_Judgement_26-Sep-2018.pdf.

[43] 12th Report, Strengthening of Public Distribution System – Augmenting Use of Technological Means and Implementation of 'One Nation, One Ration Card' Scheme, Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Lok Sabha, March 2021, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Consumer%20Affairs,%20Food%20and%20Public%20Distribution/17_Food_Consumer_Affairs_And_Public_Distribution_12.pdf?source=loksabhadocs.

[44] Sixth Report: 'Demands for Grants (2024-25)', Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Lok Sabha, December 16, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Consumer%20Affairs,%20Food%20and%20Public%20Distribution/18_Consumer_Affairs_Food_and_Public_Distribution_6.pdf?source=loksabhadocs.

[45] Concurrent Evaluation of Implementation of National Food Security Act, 2013 in State of Bihar, Phase-II (2020-23), A.N. Sinha Institute of Social Studies.

[46] Concurrent Evaluation of Implementation of National Food Security Act, 2013 in the State of Jharkhand, Phase-II (2020-23), Centre for Development Communication and Studies.

[47] Concurrent Evaluation of Implementation of National Food Security Act, 2013 in State of Odisha, Phase-II (2020-23), IIIT Bhubaneswar.

[48] "Cash transfer of food subsidy directly into the bank account of PDS being implemented on a pilot basis in three UTs-Chandigarh and Puducherry since September, 2015 and urban areas of Dadra and Nagar Haveli since March, 2016", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, March 30, 2022, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1811483#:~:text=The%20Direct%20Benefit%20Transfer%20(DBT,(vi)%20promote%20financial%20inclusion.

[49] Unstarred Question No. 1533, Rajya Sabha, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 10, 2021, https://sansad.in/getFile/annex/255/AU1533.pdf?source=pqars.

[50] "Pilot Project for Direct Benefit Transfer withdrawn 10 months after launch", The Indian Express, as accessed on January 28, 2025, https://indianexpress.com/article/india/jharkhand-pilot-project-for-direct-benefit-transfer-withdrawn-10-months-after-launch-5299959/.

[51] Karnataka Budget 2024-25, February 16, 2024, https://finance.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/1_BudgetSpeech_ENG.pdf.

[52] Unstarred Question No, 212, Lok Sabha, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 7, 2022, https://pqals.nic.in/annex/1710/AU212.pdf.

[53] Report no. 24, Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution: 'Demands for Grants (2023-24), Department of Food and Public Distribution', Lok Sabha, March 21, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Consumer%20Affairs,%20Food%20and%20Public%20Distribution/17_Consumer_Affairs_Food_and_Public_Distribution_24.pdf?source=loksabhadocs.

[54] Policy and System, Procurement, Food Corporation of India, as accessed on February 6, 2025, https://fci.gov.in/headquarter/view/Policy-and-System-684.

[55] Report no. 18, Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution: 'Demands for Grants (2022-23), Department of Food and Public Distribution', Lok Sabha, March 22, 2022, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Consumer%20Affairs,%20Food%20and%20Public%20Distribution/17_Food_Consumer_Affairs_And_Public_Distribution_18.pdf?source=loksabhadocs.

[56] Storage-Overview, Food Corporation of India, as accessed on January 8, 2025, https://fci.gov.in/view/Conventional-Storage-307.

[57] Starred Question No. 336, Lok Sabha, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 18, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS336_o8PB1G.pdf?source=pqals.

[58] Report of the Task Force on Sugarcane and Sugar Industry, NITI Aayog, March 2020, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-08/10_Report_of_the_Task_Force_on_Sugarcan_%20and_Sugar_Industry_0.pdf.

[59] Unstarred Question No. 2704, Lok Sabha, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 11, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU2704_NTQHBD.pdf?source=pqals.

[60] Corn Ethanol Production Booms in Brazil, United States Department of Agriculture, October 8, 2020, https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Corn%20Ethanol%20Production%20Booms%20in%20Brazil%20_Brasilia_Brazil_10-04-2020.

[61] Sugar Pricing Policy, Department of Food & Public Distribution, as accessed on January 9, 2025, https://dfpd.gov.in/sugar_policy.html/en.

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।